

10X

Ans (6) (5) LNUC

संख्या- 324 /15-7-2004-161 1011/ 2003

प्रति,

श्री प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीतिविहार, नई दिल्ली ।

विषय: 171 अनुभाग

तकसज: दिनांक: 25 फरवरी, 2004

विषय:- जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा नालपुर धारापत्ती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सांसायणी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाय मिनिशर नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।



01/07/04

Principal

Jeevandeep Public School
Baralalpur, Varanasi

Original copy sent to Chairman.
Pl file it in EBSE sanction file.

0/5

M
2/5

Jeevandeep Public School Society

Chairman

- 5- संस्था एवं शिक्षण एवं शिक्षा उत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से का वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
 - 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अभावसंगीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेशा निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 - 8- विद्यालय का रिजर्व्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचयों में रखा जायेगा।
 - 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिचय नहीं दिये जायेंगे।
 - 2- बाङ्गलाज में यह भी प्राविधान करा लिया जायेगा कि किसी भी शर्तों में बिना शा पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिचय/संशोधन नहीं दिये जायेंगे।
- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

शिम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पूर्वसंख्या एवं दिनांक तद्वै

- 1- प्रतिनाम निम्नलिखित में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर वाराणसी ।
गाई बुक ।

आज्ञा से,

शिम प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

0

Principal
Jeevandeep Public School
Baralalpur, Varanasi

Jeevandeep Public School

Chairman